Nagar Mahapalika
G. A. D. 1170
20-1-92

V. Important

संख्या-.../नौ-9-91-8/जनरल 91

प्रेषक,

श्री पी०एल०पुनिया,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

R.5935/UF/A/N/...
21/1/92

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगरमहापालिका, उ०प्र०।

3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Mahapalika
KANPUR

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 1991

विषय:- केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर देय सेवा परिव्यय।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा यह निदेश जारी किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न) कि यदि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों पर, निजी सम्पत्तियों की भांति ही स्थानीय निकायों से नागरिकसेवाएं व सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रदेय सम्पत्ति कर के 75 प्रतिशत के बराबर सेवा - परिव्यय संबंधित स्थानीय निकाय को देय होगा। यह भी निदेश दिए गए हैं कि बड़ी एवं सघन बस्तियों में केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा स्वयं नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराये जाने और ऐसी सेवाएं सम्बन्धित नगर स्थानीय निकाय से उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर निजी सम्पत्तियों की भांति लगने वाले सम्पत्तिकर के $33\frac{1}{3}$ के बराबर सेवा परिव्यय देय होगा किन्तु जिन स्थानीय निकायों से नागरिक सेवाएं आंशिक रूप में प्राप्त की जाती रही हों, उन परिसम्पत्तियों पर सामान्य सम्पत्तिकर का 50 प्रतिशत सेवा व्यय देय होगा। इस पर भी बल दिया गया है कि आवासीय एवं अनावासीय दोनों

...2/

P.T.O.

क्र० 3417/R/U. MA5 दि० 5.3.92

-2-

प्रकार के वार्षिक मूल्य निर्धारण में सेवा भारव्यय की गणना उल्लिखित परिसम्पत्ति के लागत मूल्य को 9 प्रतिशत पर की जायेगी।

2- यह अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि स्थानीय निकायों को वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(पी०एल० पुनिया)
सचिव।

संख्या-4451(1)/नौ-9-91-87(जनरल)/91, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, उ०प्र०।

2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, 4-प्राग नरायन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(पी०एल० पुनिया)
सचिव।

नगर महापालिका : कानपुर
(सामान्य प्रशासन)
पत्रांक 1170/3/प दिनांक 28.2.92
प्रतिलिपि :- समस्त उप नगर अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(हस्ताक्षर)
प्रधान लिपिक
(सामान्य प्र०)

Please see [illegible] [illegible] for [illegible] on priority